

# Chanakya National Law University

[Accredited with "A" Grade by NAAC]

Nyaya Nagar, Mithapur, Patna- 800 001

Mob: - 9431622508; e-mail:- profprchaircnlu@gmail.com

Advertisement No. - 15/2018-19

Date: - 01.10.2018

## Advertisement for Trainers

Chanakya National Law University in collaboration with Department of Panchayati Raj, Govt. of Bihar will facilitate the training of Gram Kachahari Members of Bihar. Retired District level Judicial Officers/ADM rank officers who are experts in the field of Gram Kachahari and willing to impart training at Block level are requested to submit the duly filled in Application form on or before 26<sup>th</sup> October, 2018 by speed post. For Further details please visit our website i.e., [www.cnlu.ac.in](http://www.cnlu.ac.in)

By order of Hon'ble Vice-Chancellor,

Prof. S. P. Singh  
Professor Chair, Panchayati Raj, CNLU, Patna.

## **Tentative Date of Programmes:**

- 1. Tentative date for interview :- Last Week of October, 2018**
- 2. Tentative date for two days orientation programme for regional trainers (क्षेत्रीय प्रशिक्षकों) at Chanakya National Law University, Nyaya Nagar, Mithapur, (Near-Mithapur Bus Stand) :- 1<sup>st</sup> Week of November, 2018.**
- 3. Tentative dates of starting orientation programmes at Block Level by regional trainers (क्षेत्रीय प्रशिक्षकों) :- From 20th November, 2018**

# चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

न्याय नगर, मिठापुर, पटना - 800 001

Website: - [www.cnlu.ac.in](http://www.cnlu.ac.in); E-mail id: - profprchairenlu@gmail.com

## बिहार राज्य के ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों (सरपंचों, उपसरपंचों, न्यायमित्रों एवं ग्राम कचहरी सचिवों) के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्राम कचहरी के कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने, गाँवों में स्थानीय न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने एवं उच्च स्तरीय न्यायालयों के स्तर पर विवादों की संख्या में पर्याप्त कमी करने हेतु बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों यथा सरपंचों, उपसरपंचों, न्यायमित्रों एवं ग्राम कचहरी के सचिवों को प्रशिक्षित करने हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने का निर्णय लिया है। इस प्रशिक्षण कार्य का संचालन चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत पंचायती राज चेयर द्वारा किया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने हेतु चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना ने एक कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (Implementation and Monitoring Committee) को गठित किया है। कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण समिति (Implementation and Monitoring Committee) के सदस्यगण प्रशिक्षण प्रदायी कार्यक्रम का सतत अवलोकन एवं अनुश्रवण करेंगे।

### प्रशिक्षण कार्यक्रम

ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण पूरे बिहार राज्य में प्रखंड स्तर पर संचालित होगा। इस स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए 100 क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का चयन चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारियों/प्रशासनिक अधिकारियों के बीच से साक्षात्कार के बाद किया जाएगा।

इन क्षेत्रीय प्रशिक्षकों के लिए दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, परिसर में पंचायती राज चेयर द्वारा आहूत किया जाएगा। इस कार्यशाला के प्रथम दिन (i) न्याय एवं कचहरी न्यायालय की अवधारणा एवं महत्व (ii) उसके विभिन्न आयाम (iii) भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित विभिन्न अनुच्छेद (iv) बिहार में ग्राम कचहरी की संरचना/कार्य एवं अधिकार, इत्यादि विषयों पर व्याख्यान आयोजित किया जाएगा।

दूसरे दिन (i) न्यायिक प्रक्रिया (ii) सिविल एवं फौजदारी संहिता (iii) ग्राम कचहरी की सिविल एवं फौजदारी अधिकारिता (iv) मूट कोर्ट का गठन (v) मोडल रिपोर्ट एवं (vi) न्यायनिर्णय आलेखन जैसे विषयों पर चर्चा होगी और उनसे संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इस प्रशिक्षण के उपरांत क्षेत्रीय प्रशिक्षकों को आवंटित जिला के प्रखंड स्तर पर भेजा जाएगा। उनके आवंटित जिला में पहुँचने के बाद, संबंधित जिला के परिसदन भवन में ठहराने एवं भोजन की व्यवस्था कराने एवं

प्रखंड विकास पदाधिकारी (B.D.O.) से सम्पर्क/वार्तालाप करके उन्हें परिसदन भवन से प्रखंड एवं कार्यालय ले जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था कराने का दायित्व उस जिला के पंचायती राज अधिकारी (D.P.R.O.) का होगा। इस कार्यक्रम की विस्तृत सूचना संबंधित जिला के जिलाधिकारी को भी यथा समय दी जायेगी।

क्षेत्रीय प्रशिक्षकों (Field Trainers) के मानदेय की राशि रु 3000 प्रतिदिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत पंचायती राज अधिकारी (D.P.R.O.) के रिपोर्ट के बाद देय होगा।

क्षेत्रीय प्रशिक्षक का चयनित जिला में जाने एवं आने का मार्ग व्यय या वास्तविक व्यय के आधार पर (जो भी न्यून होगा) – रु 1000.00 तक।

क्षेत्रीय प्रशिक्षक आवंटित जिला में पहुँचने के उपरांत, कम से कम चार प्रखंडों में उर्पयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। प्रत्येक प्रखंड में प्रशिक्षण का कार्यक्रम दो दिनों का होगा।

यह उल्लेखनीय है कि ग्राम कचहरी की वर्तमान व्यवस्था बिहार राज्य के स्तर पर की गयी एक अनोखी पहल (Sui-Generis Endeavour) है और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों के लिए बाध्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत यह बहुत ही प्रभावकारी, लोकप्रिय एवं ग्रामीण स्तरीय न्यायिक व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित होगा। देश के दूसरे राज्य भी इससे प्रेरित होंगे एवं भविष्य में वे भी इसका अनुसरण करने के लिए प्रयत्नशील होंगे।

**Prof. S.P. Singh**  
**Dean, Social Sciences &**  
**Chair Professor, Panchayati Raj, CNLU, Patna**

# CHANAKYA NATIONAL LAW UNIVERSITY

Nyaya Nagar, Mithapur, Patna -800 001


Website: - [www.cnl.u.ac.in](http://www.cnl.u.ac.in); E-mail id: - profprchaircnlu@gmail.com

---

(The duly filled in application form must be submitted on or before the 26<sup>th</sup> October, 2018 by speed post on the following address: Prof. S. P. Singh, Professor Chair, Panchayati Raj, Chanakya National Law University, Nyaya Nagar, Mithapur, Patna -800 001)

## APPLICATION FORMAT FOR TRAINER

(To be filled in same format)



1. Name of the Applicant :.....
  2. Date of Birth :.....
  3. Father's Name :.....
  4. Post Held at the time of Superannuation (Photo copy is Mandatory):-.....
  5. Years of Experience in the field of Panchayati Raj: -.....
  6. Correspondence Address :.....  
.....  
.....
- Mobile No.....E-mail id.....

I hereby certify that all information provided by me is correct. In case of any wrong information given by me, CNLU Patna can take any disciplinary action against me.

Signature with Date

Name:-